राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर

क्रमांकः—एफ 2(घ)( )(निल.)आरएमएस(जांच)डीएलबी/2023/1464 दिनांकः— 25-05-2023

आदेश

पुलिस अधीक्षक—प्रशासन, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/3/2023/919—22 दिनांक 17.05.2023 के अनुसार परिवादी श्री तोलीराम, निवासी—आसन (आमेट) तहसील—आमेट, जिला—राजसमंद से आरोपीगण 1.श्री कृष्णगोपाल, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका गंगापुर अतिरिक्त चार्ज नगरपालिका देवगढ़ एवं आमेट जिला—राजसमंद एवं 2. श्री बलवंत सिंह, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय नगरपालिका, आमेट, जिला—राजसमंद के द्वारा मिलीभगत कर अपने पद का का दुरूपयोग करके 2,00,000/—रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने पर दिनांक 17.05.2023 को गिरफ्तार किया गया। इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 121/2023 पंजीबद्ध की गई।

उपरोक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि आरोपी श्री कृष्णगोपाल, अधिशाषी अधिकारी, एवं श्री बलवंत सिंह, वरिष्ठ सहायक 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, अतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा निलम्बन एवं इनके मुख्यालय परिवर्तन हेतु की गयी अनुशंषा दिनांक 17.05.2023 को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिक (क—3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157)कार्मिक/क—3/97 जयपुर, दिनांक 07 जुलाई, 2010 में दिये गये निर्देशों एवं राजस्थान सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम—13 के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्णगोपाल, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गंगापुर अतिरिक्त चार्ज नगरपालिका, देवगढ़ एवं श्री बलवंत सिंह, वरिष्ठ सहायक कार्यालय नगरपालिका आमेट, जिला—राजसमंद को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लेने की दिनांक 17.05.2023 से ही एतद् निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इन का मुख्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग भरतपुर में रहेगा तथा इनको नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर पालिका गंगापुर से किया जावेगा।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकः—एफ 2(घ)( )(निल.)आरएमएस(जांच)डीएलबी/2023/1465-75 दिनांकः— 25-05-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

01. जिला कलेक्टर, राजसमन्द।
02. पुलिस अधीक्षक—प्रशासन, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/3/2023/919—22 दिनांक 17.05.2023 के क्रम में प्रेषित है।
03. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
04. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका गंगापुर/आमेट/देवगढ़।
05. श्री कृष्णगोपाल, जरिए नगरपालिका गंगापुर।
06. श्री बंलवत सिंह, जरिए नगरपालिका आमेट।
07. उप निदेशक—आईटी, निदेशालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
08. संस्थापन अनुभाग—आरएमएस, निदेशालय/सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक